संख्याः-43-दो-(1)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004

प्रेषक,

यू०सी० ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभागः देहरादून :दिनांक 25 अक्टूबर, 2004

विषयः जजशिप चमोली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु टाईप-I आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1543/यू0एच0सी0एडमिन(बी), दिनांक 19.7.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जजशिप चमोली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु टाईप-I के आठ आवासों के निर्माण हेतु रु0 26,00,000/-के आगणन के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 19,17,000/- (रुपये उन्नीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, को स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि चार्म्स के अन्तर्गत स्वीकृत है, स्वीकृत चार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(5) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय में पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में आवंटित न की जाय । उक्त स्वीकृति में साज- सज्जा की मदें सम्मिलित नही है ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(10) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(11) कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुये इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त भवन पूर्ण कर सम्बन्धित जिला जज को हस्तगत कर दिया जायेगा ।

(13) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्णरुप से उत्तरदायी होगी ।

2- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय- 60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-01-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्रांश)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1618/वि0अनु0-3/2004, दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-43-दो-(1)(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल,माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज, चमोली ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
6. श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
7. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
8. वित्त अनुभाग-3/एन.आई.सी. ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।